अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 139(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 25 सितम्बर,1992 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 711(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर (द्वारा तुरा) ,सोनभद्र, उत्तर प्रदेश द्वारा (क) महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य मिशन-राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा (ख) सोनभद्र जिला (उत्तर प्रदेश) में जनजातीय गांवों में एक सौ महिला और बाल केन्द्रों का निर्माण और उपस्कर, (ग) बनवासी भावना-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास-सह-प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण और उपस्कर परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1993-1994 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में मात्र नौ करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं0 1 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 22 नवम्बर, 1994 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 841 (अ0) द्वारा आगे बढ़ाया गया था जिसे कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं0 56 (अ0) द्वारा और आगे बढ़ाया गया था और जिसे कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 14 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सा0आ0 865 (अ0) द्वारा और आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और, जबकि समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर (द्वारा तुरा) ,सोनभद्र, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही (क) महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य मिशन-राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा (ख) सोनभद्र जिला (उत्तर प्रदेश) में जनजातीय गांवों में एक सौ महिला और बाल केन्द्रों का निर्माण और उपस्कर, (ग) बनवासी भावना-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास-सह-प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण और उपस्कर की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 38/2005/फा. सं. एनसी-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)